

बैंक हेतु भवन / परिसर की आवश्यकता

उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ की 13 नई शाखायें (गोरखपुर, महाराजगंज, फतेहपुर, हापुड़, अंबेडकर नगर, अमेठी, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, गौतमबुद्ध नगर, संभल, ज्योतिबाफूले नगर एवं मथुरा) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के मुख्यालय पर खोली जानी हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बैंक शाखा खोलने हेतु भवन/परिसर के लिए निम्नलिखित मानक अनिवार्य हैं :-

1. बैंक हेतु भवन/परिसर का कार्पेट एरिया 1000 वर्गफीट से 1200 वर्गफीट होना चाहिए।
2. बैंक हेतु भवन/परिसर भूतल पर होना चाहिए तथा जिला मुख्यालय के मेन मार्केट एवं मुख्य मार्ग पर होना चाहिए।
3. भवन/परिसर का कामर्शियल प्रयोग किये जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं भवन/परिसर का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।
4. भवन/परिसर पर किसी भी प्रकार का वाद न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
5. भवन/परिसर हेतु वॉछित किराया प्रति वर्गफुट।
6. परिसर में 15 के0वी0ए0 का बिजली कनेक्शन(केवल बैंक प्रयोग हेतु) व पानी की आपूर्ति, जनरेटर लगाने की व्यवस्था तथा बैंक की आवश्यकतानुसार अन्य आधारभूत सुविधायें होनी चाहिए।
7. भवन/परिसर की छत पर कनेक्टिविटी हेतु वी0सेट/आर0एफ0 लगाने के लिए स्थान तथा स्टाफ एवं ग्राहकों हेतु पार्किंग के लिए समुचित स्थान का होना आवश्यक है, जिसका कोई किराया अलग से देय नहीं होगा।
8. बैंक के पास बिना कोई कारण बताये सभी प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ अपने भवन/परिसर का नक्शा व लोकेशन प्लान, पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी प्रेषित करें।

उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक भवन/भूखण्ड स्वामी अपना प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 15.05.2021 तक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय-2, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226001 को प्रेषित करें।